नेट 4 इंडिया लिमिटेड (परिसमापन में) परिसमापक: सी ए नीरज कुमार

पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट संख्या 139–ए–1, एस/एफ मोहम्मदपुर, नई दिल्ली– 110061
CIN: L72200DL1985PLC022649

ई–नीलामी बिक्री सूचना

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत तत्काल वसूली हेतु अपूर्ण परिसंपत्तियों (एनआरआरए) की बिक्री/असाइनमेंट

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि **नेट 4 इंडिया लिमिटेड (परिसमापन के अंतर्गत),** जो एक कॉर्पोरेट देनदार है, की एनआरआरए परिसंपत्तियों को, जो कॉर्पोरेट देनदार की परिसमापन संपत्ति का हिस्सा हैं, इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (लिक्विडेशन प्रोसेस) रेगुलेशन, 2016 के रेगुलेशन 32 सहपठित रेगुलेशन 37ए और 33(1) के अनुपालन में, अधोस्ताक्षरकर्ता द्वारा ई–नीलामी के माध्यम से बेचने का प्रस्ताव है। इच्छुक व्यक्ति बिक्री प्रक्रिया के विस्तृत मेमोरेंडम को **https:/ibbi.baanknet.com** पर देख सकते हैं।

कॉर्पोरेट देनदार	
कॉर्पोरेट देनदार	नेट 4 इंडिया लिमिटेड
परिसमापन प्रारंभ होने की तिथि	**20.09.2024**
बिक्री का आकलन	कॉर्पोरेट देनदार की गैर–तत्काल वसूली योग्य परिसंपत्तियों (एनआरआरए) की बिक्री **'जैसी है वैसी ही', 'जो भी उपलब्ध हो', 'बिना किसी उपाय के'** आधार पर की जाएगी, जिसमें मुकदमेबाजी का अधिकार भी शामिल है, यदि कोई हो, जैसा कि बिक्री प्रक्रिया ज्ञापन में पूरी तरह से निर्धारित किया गया है।
आरक्षित मूल्य	रूपये **3,48,67,830**
प्रतिदेय/समायोजनीय जमा बयाना राशि	रूपये **34,86,783**
बिक्री का माध्यम	ऑनलाइन ई–नीलामी **https:/ibbi.baanknet.com** के माध्यम से
परिचर्चा बैठक	**10.09.2026 से 19.09.2026 तक**
धारा 29ए के तहत शपथ पत्र और बोली दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि	**21.09.2026**
ई-नीलामी की तिथि एवं समय	**24.09.2026 (दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक)**
सफल बोलीदाता की घोषणा	**27.09.2026**

बोली लगाने के इच्छुक व्यक्ति स्वयं उचित जांच–पड़ताल कर सकते हैं, परिसमापक ऐसी निरीक्षण और उचित परिश्रम प्रक्रिया को सुविधाजनक नहीं बनाएगा/कोई मदद नहीं करेगा।

महत्वपूर्ण नोट्सः

1. कॉर्पोरेट देनदार की एनआरआरए परिसंपत्तियों के असाइनमेंट की बिक्री के लिए ई–नीलामी **''जैसा है, जहां है, जैसा है, जो भी हो, बिना किसी प्रतिपूर्ति के'' आधार पर** आयोजित की जाएगी, जिसमें कोई प्रतिनिधित्व, वारंटी या क्षतिपूर्ति नहीं होगी और यह ऑनलाइन **https://ibbi.baanknet.com** पर आयोजित की जाएगी।
2. इच्छुक आवेदक ऑनलाइन ई–नीलामी के विस्तृत नियम और शर्तों, बोली प्रपत्र, पात्रता मानदंड, बोलीदाताओं द्वारा घोषणा, ईएमडी आवश्यकता आदि के लिए ई–नीलामी प्रक्रिया सूचना दस्तावेज देख सकते हैं, जो **https://ibbi.baanknet.com** पर उपलब्ध है।
3. संभावित इच्छुक बोलीदाताओं को दिवालियापन और दिवालिया संहिता की धारा 29ए के तहत पात्रता का वचन सहित आवश्यक दस्तावेज BAANKNET नीलामी प्लेटफॉर्म **https://ibbi.baanknet.com** के माध्यम से जमा करने होंगे।
4. संभावित इच्छुक बोलीदाताओं को BAANKNET नीलामी प्लेटफॉर्म **https://ibbi.baanknet.com** के माध्यम से बयाना राशि (ईएमडी) जमा करनी होगी।
5. उपरोक्त खंड 3 में संदर्भित उपक्रम में यह उल्लेख होना चाहिए कि संभावित बोलीदाता संहिता की धारा 29ए के तहत किसी भी अयोग्यता से ग्रस्त नहीं है, जहां तक लागू हो। संभावित बोलीदाता ध्यान दें कि यदि किसी भी स्तर पर अयोग्य पाए जाते हैं, तो आईबीबीआई परिपत्र संख्या **IBBI/LIQ/84/2025** दिनांक **28 मार्च, 2025** के अनुसार ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।
6. कृपया ध्यान दें कि ईएमडी भुगतान ई–वॉलेट में धनराशि जोड़कर और संबंधित नीलामी के लिए "Participate" पर क्लिक करके BAANKNET पोर्टल के माध्यम से किया जाना चाहिए। पात्र बोलीदाताओं के नाम की पहचान की जाएगी और **www.baanknet.com** पोर्टल पर ऑनलाइन ई–नीलामी में भाग लेने के लिए परिसमापक द्वारा सूचित किया जाएगा। इच्छुक बोलीदाता को नीलामी पोर्टल में अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होगा और पोर्टल के ई–वॉलेट में अपनी ईएमडी राशि जमा करनी चाहिए। ई–नीलामी पोर्टल के बारे में किसी भी जानकारी या प्रश्न के लिए, BAANKNET (बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क), से संपर्क करें, या ई–मेल आईडी सपोर्ट **baanknet@psballiance.com** पर ईमेल करें।
7. सफल बोलीदाता को शेष बिक्री राशि (अर्थात, स्वीकृत बोली राशि और प्राप्त ईएमडी के समायोजन/सेट ऑफ के बाद अन्य लागू कर/शुल्क) का भुगतान करने के लिए अधिकतम समय एलओआई की तारीख से **90 दिन** है।
8. यह स्पष्ट किया जाता है कि, यह आमंत्रण संभावित बोलीदाताओं को आमंत्रित करने के के उद्देश्य है और बिक्री को प्रभावी बनाने के लिए परिसमापक या कंपनी की ओर से किसी भी प्रकार का बाध्यकारी दायित्व नहीं बनाता है, परिसमापक को परिसमापन प्रक्रिया के हित में अपने विवेक पर ई–नीलामी की समयसीमा सहित किसी भी नियम और शर्तों को बढ़ाने/स्थगित/रद्द करने और/या संशोधित करने, हटाने का अधिकार है और नीलामी के किसी भी चरण में बिना किसी पूर्व सूचना या कोई भी कारण बताए किसी भी बोली को अस्वीकार करने का अधिकार है।
9. कृपया ध्यान दें कि यह असाइनमेंट कार्य सूचना एवं प्रसारण संहिता, उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों और प्रक्रिया सूचना दस्तावेज के प्रावधानों के अधीन होगा।

(नीरज कुमार)
परिसमापक - नेट 4 इंडिया लिमिटेड के लिए
IBBI/IPA-001/IP-P-02368/2021-2022/13586
ईमेलः ip.net4india@gmail.com
मोबाइलः 98187 27408

दिनांक: 10.09.2026
स्थान : नई दिल्ली

एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड

रजिस्टरड ऑफिस: 14वीं मंज़िल, इरोज़ कॉर्पोरेट टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110019, फ़ोन: 011-66115600
कॉर्पोरेट ऑफिस: नंबर 101, कल्पतरु इन्फिनिया, प्लॉट B, ग्रैंड हयात के पास, सांताक्रूज़ (पूर्व), मुंबई – 400051, महाराष्ट्र

सिक्योरिटाइज़ेशन एक्ट, 2002 की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस

ACRE – ARC ने सरफेसी एक्ट, 2002 की धारा 5 के प्रावधानों के तहत असाइनर से उधारकर्ता की सभी फाइनेंशियल एसेट्स और उनसे जुड़ी सिक्योरिटीज़ का अधिग्रहण किया है। इस डेट (कर्ज़) अधिग्रहण के ज़रिए, ACRE – ARC ने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और सिक्योरिटीज़ के आधार पर फाइनेंशियल एसेट्स के असाइनमेंट के माध्यम से, ट्रस्टी के तौर पर काम करते हुए उधारकर्ता के बकाया कर्ज़ पर सभी अधिकार, मालिकाना हक और हित हासिल कर लिए हैं। ACRE - ARC अब उधारकर्ता के लिए सिक्योर्ड क्रेडिटर के तौर पर असाइनर की जगह ले चुका है और लोन सुविधाओं से जुड़ी बकाया राशि वसूलने और सिक्योरिटी इंटरेस्ट को लागू करने का हकदार है।

क्र.	लोन खाता संख्या	ACRE ट्रस्ट	पोर्टफोलियो	असाइनमेंट की तारीख	उधार लेने वाले का नाम	कुल बकाया राशि	NPA की तारीख और मांग सूचना की तारीख
1	11884600001503	ACRE Trust 166	JCF	13-12-2024	मेसर्स साई ऑटो (मालिक: स्व. अनवर अली) (स्व.अनवर अली की उपलब्ध कानूनी वारिस श्रीमती शमीम जहाँ के ज़रिए) (उधारकर्ता) अनवर अली (उनके उपलब्ध कानूनी वारिसों के ज़रिए), (गिरवी रखने वाले और गारंटर), मोहम्मद अली (गिरवी रखने वाले और गारंटर), शमीम जहाँ (गिरवी रखने वाले और गारंटर), मोहम्मद असगर अली (गिरवी रखने वाले और गारंटर)	Rs. 8,40,70,749.73 19-08-2026 तक	30-06-2019 और 20-08-2026

सुरक्षित संपत्ति का विवरण: संपत्ति नंबर 1: कॉर्पोरेशन नंबर 239/35 वाली बिल्डिंग के साथ ज़मीन, जिसका साइज़ 1200 वर्ग फुट है, जो कटरा मीर जहाँगीर बेग, वार्ड चौक याहियागंज, लखनऊ में स्थित है और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: क़ज़ल अब्बास हाउस के नाम से जानी जाने वाली बिल्डिंग, पश्चिम: साबिर का घर, उत्तर: मजकूर समिति का घर, दक्षिण: 10.00 फुट चौड़ी गली। **संपत्ति नंबर (2):** घर नं. 239/36, साइज़ 100 वर्ग मी., जो कटरा मीर जहाँगीर बेग, वार्ड चौक याहियागंज, लखनऊ में स्थित है और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: घर नं. 239/35A, पश्चिम: घर नं. 239/37, उत्तर: श्री रफ़ात आलम और श्री आलमदार का घर, दक्षिण: 20.00 फुट चौड़ी सड़क, बदाहू बरकत मंज़िल। **संपत्ति नंबर (3):** खसरा नं. 22 और 23 पर बना घर, साइज़ 185.873 वर्ग मीटर, जो सरफ़रीगंज वार्ड बालकगंज, लखनऊ में स्थित है और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: 18 फुट चौड़ी सड़क, पश्चिम: 20 फुट चौड़ी सड़क, उत्तर: सीवर, दक्षिण: अलहाज हसन हबीब जैदी का घर। **संपत्ति नंबर (4):** रिहायशी प्लॉट और घर, साइज़ 379.182 वर्ग मीटर, जो गाँव उत्तरधौना, परगना, तहसील और ज़िला लखनऊ में स्थित है और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: मुन्ना का घर, पश्चिम: 10 फुट चौड़ा रास्ता, उत्तर: विक्रेता की बाकी प्रॉपर्टी, यानी मो. इस्माइल उर्फ नन्हा, नासिर, नसीब अली और वली मोहम्मद, दक्षिण: विक्रेता की बाकी प्रॉपर्टी, जिसमें अभी मस्जिद की ओर जाने वाला 11 फुट चौड़ा रास्ता है, विक्रेता की बाकी प्रॉपर्टी के बावजूद।

नोटिस की वैकल्पिक तामील (वैकल्पिक सेवा) के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। ऊपर बताए गए उधारकर्ताओं, सह-उधारकर्ताओं और/या उनके गारंटरों (जहाँ भी लागू हो) को सलाह दी जाती है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करें। ऐसा न करने पर, 'सिक्योरिटाइज़ेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ़ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ़ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002' के प्रावधानों के अनुसार, इस नोटिस की तारीख से 60 दिन पूरे होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
कृपया ध्यान दें कि यह नोटिस धारा 13(13) के तहत भी है, जो उधारकर्ताओं/गारंटरों/गिरवी रखने वालों को सूचित करता है कि गिरवी रखी गई संपत्ति को बेचा/पट्टे पर दिया/हस्तांतरित नहीं किया जाना चाहिए।

तारीख : 10-09-2026, स्थान : लखनऊ, उत्तर प्रदेश **हस्ताक्षर/- अधिकृत अधिकारी, एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड**

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक)

रजिस्टर्ड ऑफिसः 19–A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर–302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

सिक्युरिटाईजेशन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग सूचना पत्र

अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी है।''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की''धारा 13(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी ने ऋण खातों के गैर निष्पादनीय आस्तियों (एन.पी.ए.) होने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार ऋणीयों/सह-ऋणीयों/ गारण्टर बंधककर्ताओं (जिन्हें आगे ऋणी/ऋणीयों के नाम से सम्बोधित किया जायेगा) को 60 दिनों के नोटिस प्रेषित किये थे, नोटिस के अनुसार यदि ऋणी 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नही करवाते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13 उपधारा 4 व 14 के अन्तर्गत कदम उठाने हेतु स्वतंत्र होगा। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसे प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा लेने की शक्ति तथा उनका विक्रय करना सम्मिलित है। अतः आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि निम्न सूची में दी गई सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि भविष्य के ब्याज तथा खर्चो एवं लागतों इत्यादि के साथ 60 दिवस के भीतर जमा करवा दें। इसके अतिरिक्त आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त 13(13) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति के पश्चात प्रतिभूत लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना सूचना में निर्दिष्ट अपनी किन्ही प्रतिभूत आस्तियों को विक्रय द्वारा या पट्टे द्वारा अथवा किसी माध्यम से अन्तरित नहीं करेंगे। ऋणीयों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(8) सपठित नियम 3 (5) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अनुसार ऋणी अपनी बंधक सम्पत्ति को उसके द्वारा उपगत सभी खर्चो प्रभारों और व्ययों के सहित प्रतिभूत लेनदार द्वारा विक्रय या अन्तरण के लिये नीलामी सूचना के प्रकाशन से पूर्व किसी भी समय भुगतान करके मुक्त करवा सकते है।

ऋण खाता संख्या / ऋणी/ सहऋणी/बन्धकर्ता/ गारन्टर का नाम	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
(खाता सं.) 2221255839558461 **मैसर्स ओम साईं राम कम्पनी जरिए प्रोपराइटर श्री राहुल गुप्ता (ऋणी)** श्री राहुल गुप्ता पुत्र श्री विनोद कुमार गुप्ता (जमानतदार) श्रीमती सरवेश गुप्ता पत्नी श्री विनोद कुमार गुप्ता (बंधककर्ता/ जमानतदार)	**03.09.2026** रु. 51,39,136/- (रुपये इक्यावन लाख उनचालीस हजार एक सौ छत्तीस मात्र) **दिनांक 02.09.2026**	**दृष्टिबंधक की अनुसूची** इन्वेंट्री, बुक डेब्ट्स, चल व अचल सम्पत्ति की वर्तमान और भविष्य दोनों पर, दृष्टिबंधक के माध्यम से प्रथम व विशेष प्रभार। **बंधक अचल सम्पत्ति की अनुसूची** कॉमर्शियल सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग, ग्राउण्ड फ्लोर का फ्रीहोल्ड निर्मित हिस्सा, एक हॉल जिसका एरिया 19.56 वर्ग मीटर मे शामिल, बिना बेसमेंट व टैरेस/छत अधिकार के, सम्पत्ति नं. 6088 का हिस्सा, स्थित गली बाटाशन, खड़ी बोली, दिल्ली रजिस्टर्ड विक्रय डीड दिनांक 05.11.2011, रजिस्ट्रेशन नं. 10233, उप-पंजीकृत-।, न्यू दिल्ली, जो कि श्रीमती सरवेश गुप्ता के स्वामित्व में है। सम्पत्ति की सीमाएँ निम्नानुसार हैं:- पूर्व : अन्य सम्पत्ति नं. 6089 पश्चिम : अन्य सम्पत्ति उत्तर : अन्य सम्पत्ति दक्षिण : गली

दिनांकः 09–09–2026
स्थान : दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

अल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

सीआईएन क्रमांक U74999DL2002PLC117052
ए–270, प्रथम और द्वितीय मंजिल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली–110024
ईमेलः admin@alchemistarc.com, वेबसाइटः www.alchemistarc.com

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित

जबकि अधोहस्ताक्षरी अल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड) के समनुदेशिती, नीचे उल्लिखित दिनांक के समनुदेशन करार के अनुसार) का अधिकृत अधिकारी है, जो वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन [अधिनियम, 2002 (2002 का 54)] के अंतर्गत तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन नियम, 2002 के [नियम 3] के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मांग नोटिस जारी कर उधारकर्ता को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहा था।
उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, एतद्द्वारा उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (प्रवर्तन नियम, 2002) के नियम 8 के साथ पठित, नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) और आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें और संपत्ति के संबंध में कोई भी व्यवहार अल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के पक्ष में उस पर देय ब्याज सहित राशि के प्रभार के अधीन होगा।
उधारकर्ता'ओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय का उल्लेख है।

उधारकर्ताओं/खातों का विवरण

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता(ओ) /सह–उधारकर्ता(ओ)/गारंटर (ओं) के नाम	मांग सूचना की तारीख और देय राशि (रु.)	13 (4) के अनुसार सूचना की तारीख	सुरक्षित परिसंपत्ति का विवरण	देय तिथि
1	PR01391117	1.नरेन्द्र 2.कविता	09 मार्च 2026 और रूपयें 6,32,863/–	07 सितम्बर 2026	संपत्ति का वह समस्त भाग एवं पार्सल, मकान संख्या 297 महल वाला रोड, सहजापुर परगना किठौर, तहसील मवाना जिलामेरठ, उत्तर प्रदेश 250104 पूर्व–18 फीट फिर पुष्पा का मकान हरिराज का मकान, पश्चिम–18 फीट फिर 16 फीट चौड़ा प्लॉट नरेंद्र का एवं रास्ता उत्तर–21.6 फीट फिर रतन सिंह का मकान रास्ता 4 फीट दक्षिण –21.6 फीट फिर शिवाहिर का मकान	30 सितम्बर 2025
2	PR01355345	1.ऋषि कुमार 2.नगीना 3.चिरंजी	09 मार्च 2026 और रूपयें 8,77,372/–	09 सितम्बर 2026	मकान नं 230, खसरा नं 555 वाका मौइया बठैन, कलां, तहसील छाता, जिला मथुरा, यूपी 281403। पूर्व –16 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम – संजीव की संपत्ति उत्तर– मदन का प्लॉट दक्षिण – उमेश की संपत्ति।	30 सितम्बर 2025

उधारकर्ता(ओ) /गारंटर(ओ) को चेतावनी दी जाती है कि वे ऊपर वर्णित सुरक्षित संपत्ति (संपत्तियों) से संबंधित कोई भी लेन–देन, बिक्री, पट्टा, गिरवी, प्रभार या किसी अन्य तरीके से सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना न करें।
यह प्रकाशन ऋणकर्ता(ओं), गारंटर(ओं), और आम जनता की जानकारी के लिए सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया है। किसी भी प्रश्न के लिए, कृपया नीचे दिए गए संपर्क विवरण पर मुझसे संपर्क करें।
फोनः 011–46562584 ईमेलः **admin@alchemistarc.com, ashutosh@alchemistarc.com**

दिनांकः– 10.09.2026
स्थानः दिल्ली

हस्ताक्षर/– अधिकृत अधिकारी
अल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
(अल्केमिस्ट XLVII ट्रस्ट के न्यासी के रूप में कार्य करते हुए) सुरक्षित लेनदार

"IMPORTANT"
Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

केंद्र सरकार के समक्ष (रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली।)
एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008 की धारा 13(3) और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नियम, 2009 के नियम 17 के मामले में
और
के मामले में

फाइनव्यू डेवलपर्स एलएलपी

इसका पंजीकृत कार्यालय एम–3, फर्स्ट फ्लोर, फ्रंट पोर्शन, कमरा नंबर 8 और 9, एन.डी.एस.ई–II, नई दिल्ली साऊथ एक्सटेंशन–II, साऊथ दिल्ली, नई दिल्ली–110049 (डीएल) इंडिया में स्थित है।
......याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008 की धारा 13 (3) के तहत लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नियम, 2009 के नियम 17 के साथ पठित कंपनी रजिस्ट्रार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें अपने पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" मे "उत्तर प्रदेश राज्य" में बदलने की पुष्टि मांगी जाएगी।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह अपने हित की प्रकृति और विरोध के आधारों को बताते हुए हलफनामें के साथ अपनी आपत्तियां कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली I, चौथा फ्लोर, आईएफसीआई टॉवर, 61, नहेरु प्लेस, नई दिल्ली, दिल्ली–110019 दिल्ली–110019 (डीएल) को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकता है, या करवा सकता है, या पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है। इसकी एक प्रति याचिकाकर्ता एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय, नीचे दिए गए पते पर भी भेजी जानी चाहिए।

फाइनव्यू डेवलपर्स एलएलपी
इसका पंजीकृत कार्यालय एम–3, फर्स्ट फ्लोर, फ्रंट पोर्शन, कमरा नंबर 8 और 9, एन.डी.एस.ई–II, नई दिल्ली साऊथ एक्सटेंशन–II, साऊथ दिल्ली, नई दिल्ली–110049 (डीएल) इंडिया

कृत्ते फाइनव्यू डेवलपर्स एलएलपी
हस्ताक्षर/–
हरसिमरन सिंह अलग
नामित भागीदार
डीपीआईएन : 00719544
पता : 10–बी, लाजपत कुंज, खंदारी क्रॉसिंग, आगरा–282002 (यूपी) इंडिया

दिनांक : 10.09.2026
स्थान : नई दिल्ली

---

pnb Housing Finance Limited

Ghar Ki Baat

परिशिष्ट–IV-A अचल संपत्ति/यों हेतु ई–नीलामी सार्वजनिक बिक्री सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के सहपठित नियम 8(6) के प्रावधान के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय ई–नीलामी सूचना

पंजीकृत कार्यालय : 9वां तल, अन्तरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110001, फोन नं. 011–23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com

बी.ओ. नोएडाः दुकान नंबर 413–414–415य आरजा स्क्वायर, 7जी एवेन्यू, गौर सिटी 1, टाउनशिप, सेक्टर 4, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश– 201318

एतद्द्वारा आम तौर पर जनता को और विशेष रूप से कॉलम नंबर–ए में इंगित उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को सूचना दी जाती है कि निम्न वर्णित अचल संपत्ति(यों) जो कॉलम नंबर–डी में वर्णित है प्रत्याभूत ऋणदाता को बंधक/प्रभारित हैं, जिसमें से रचनात्मक/भौतिक कब्जा (जैसा कि कॉलम नंबर–सी में वर्णित है) को मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएनबीएचएफएल)/प्रत्याभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **''जो जहां है, जो है जैसा है, और वहां जो कुछ भी है आधार''** पर निम्न उल्लेखित विवरण के अनुसार बेचा जाएगा। एतद्द्वारा संबंधित उधारकर्ताओं/बंधककर्ता(ओं)/कानूनी उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, (चाहे ज्ञात हो या अज्ञात), निष्पादक(ओं), प्रशासक(ओं), उत्तराधिकारी(ओं), संपत्तिभागि(यों) को सूचना दी जाती है चूंकि इस मामले को आज की दिनांक में संशोधित प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियमों के नियम–8(6) और 9 के तहत कॉलम संख्या–ए में दर्शाया जा सकता है। बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए कृपया **मेसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड / प्रत्याभूत ऋणदाता की वेबसाइट यानी www.pnbhousing.com** में दिए गए लिंक का संदर्भ लें।

ऋण सं./उधारकर्ता /सह–उधारकर्ता/ गारंटर(ओं)/कानूनी उत्तराधिकारी का नाम (A)	मांग राशि और दिनांक (B)	कब्जे का प्रकार (C)	बंधक संपत्तियों का विवरण (D)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (E)	ईएमडी (आरपी का 10%) (F)	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक (G)	बोली वृद्धि मूल्य (H)	निरीक्षण की दिनांक और समय (I)	नीलामी की दिनांक और समय (J)	ज्ञात ऋण भार/न्यायालय मुकदमा अगर कोई है (K)
00166710001729 **राजविंदर सिंह गाबा और सतवंत सिंह गाबा (गारंटर), शाखा कार्यालय : नोएडा**	रु. 07,11,295.93 और 31-02-2018	भौतिक कब्ज़ा	ग्राउंड फ्लोर, शॉप नंबर G-7B, प्लॉट नंबर 10, SG बीटा टावर, सेक्टर - 3, वसुंधरा, गाज़ियाबाद - 201206	रु. 22,19,000	रु. 2,21,900	12.10. 2026	रु. 10,000	02.10.2026, सुबह 10:00 बजे शाम 5:30 बजे	13.10.2026, 02.00 अपराह्न – अपराह्न 03.00 बजे	ज्ञात नहीं

***18:** प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज के साथ जैसा लागू हो, भुगतान और/या उसकी वसूली की तारीख तक किए गए आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, उपरोक्त उल्लेखित अचल सुरक्षित संपत्तियों के संबंध में कॉलम संख्या के में बताए गए को छोड़कर कोई अन्य बाधा दावा नहीं है। सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा अपनी ओर से पूरा किया/भुगतान किया जाएगा। संभावित क्रेता बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे उल्लेखित बाधाओं की सत्यता का स्वतंत्र रूप से पता लगाएं। **1.** आज तक, पीएनबीएचएफएल पीएनबीएचएफएल के अधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित संपत्तियों को बेचने, अलग करने और/या निपटाने से रोकने वाला कोई आदेश औरध्या अदालती निषेधाज्ञा नहीं है और स्थिति कॉलम संख्या के में उल्लेखित है। **2.** संभावित क्रेता बोलीदाता और इच्छुक पक्ष स्वतंत्र रूप से कॉलम संख्या के में बताई गई कार्यवाही पारित आदेशों आदि में दलील का निरीक्षण कर सकते हैं। जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध स्वामित्व से संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है. लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है और निविदा/ बोली आवेदन पत्र जमा करने या प्रस्ताव देने से पहले सभी मामलों में खुद को संतुष्ट करते हैं। बोली लगाने वालों को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करना होगा। **3.** कृपया ध्यान दें कि सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% जमा करने के लिए बाध्य है, (इसमें शामिल है) चयाना राशि का) उसी दिन या अगले कार्य दिवस के बाद नहीं। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा विक्री मूल्य का 25% प्राप्त होने के बाद ही (बोली लगाने वालों) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75% बिक्री पुष्टिकरण पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता को बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और ऐसी जमा राशि में चूक होने पर, अधिकृत अधिकारी बिक्री का आंशिक भुगतान जब्त कर लेगा। बिक्री पुष्टिकरण पत्र में उल्लेखित 15 दिनों की अनिवार्य अवधि की समाप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रतिफल राशि और संपत्ति सुरक्षित संपत्ति को सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार फिर से बेचा जाएगा। **(4.) मैसर्स सी। इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री के संचालन में प्राधिकृत अधिकारी की सहायता करेगा, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट नंबर 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर 44, गुड़गांव, हरियाणा 122003 में है। वेबसाइट www.bankeauctions.com** संपत्ति के निरीक्षण से संबंधित किसी भी सहायता या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न वा पंजीकरण के लिए, आपको रोहित प्रकाश, टोल फ्री नंबर 1800120 8800, ई–मेलः **auction@pnbhousing.com** के साथ समन्वय करना होगा, जो पीएनबीएचएफएल का अधिकृत व्यक्ति है या **www.pnbhousing.com** देखें।

स्थानः– नोएडा दिनांकः 10.09.2026 हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

CAPRI GLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED
पंजीकृत एवं कार्पोरेट कार्यालय : 502, टावर–ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई–400013
सर्किल कार्यालय :– 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली–110060

परिशिष्ट IV कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) को नीचे दिए विवरण के अनुसार मांग सूचना(एं) जारी की थीं, जिनमें उनसे सूचना में वर्णित बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा प्राप्त कर लिया है। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है। कर्जदारों को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को सामान्य रूप से इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार कर्जदारों पर सीजीएचएफएल की बकाया राशि तथा उस पर ब्याज का भुगतान करने के बाद ही किया जा सकता है।

क्र. सं.	कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) का नाम	प्रत्याभूत आस्ति (अचल सम्पत्ति) का वर्णन	मांग सूचना तिथि और राशि	कब्जा की तिथि
1.	(ऋण खाता सं. **LNHEGU1000134958 (पुराना) 53000000545431 (नया) LNHEGU1000135899 (पुराना) 53000000545517 (नया) हमारी गुड़गांव शाखा)** **आकाश गहलोत** (कर्जदार) **श्रीमती प्रियंका पी, श्री राज कुमार** (सह–कर्जदार)	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : भूमि और भवन के रूप में संपत्ति संख्या–बी–17, खसरा संख्या–932 का अंश, गांव नवादा, कॉलोनी राम नगर, ओम विहार, उत्तम नगर, पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली–110059, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, (अर्थात 83.61 वर्ग मीटर) संपत्ति की सीमाएंः उत्तर–गली, दक्षिण–गली, पूर्व–दूसरे की संपत्ति, पश्चिम–दूसरे की संपत्ति	16–06–2026 रु. 49,57,666.09	05-09-2026

स्थान : दिल्ली/एनसीआर
तिथि : 10–09–2026

हस्ता./– (प्राधिकृत अधिकारी)
वास्ते कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल)

HDFC BANK — मांग सूचना

We understand your world
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखाः सी-25, भगवन्त दास रोड़, सेंट जेवियर स्कूल के सामने, सी–स्कीम, जयपुर–302001 **CIN** L65920MH1994PLC080618 **Website:** www.hdfcbank.com
रजिस्टर्ड कार्यालय : एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बापट मार्ग, लोअर पारेल (पश्चिम), मुम्बई-400020

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 (अधिनियम) में धारा 13(2) सपठित प्रतिभूति हित प्रर्वतन नियम 2002 (नियम) के नियम 3 के तहत

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 (अधिनियम) में धारा 13(12) सपठित प्रतिभूति हित प्रर्वतन नियम 2002 (नियम) के नियम 3 (पूर्ववर्ती एचडीएफसी लिमिटेड का दिनांक 17 मार्च 2023 के आदेश के तहत माननीय एनसीएलटी-मुंबई द्वारा अनुमोदित समामेलन योजना के आधार पर एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ विलय हो गया है) (एचडीएफसी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग पत्र धारा 13(2) के अन्तर्गत ऋणीयों/कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों जिनका नाम निम्नलिखित तालिका में दर्शित है को निर्गमित किये गये जिसमें सम्बन्धित मांग पत्रों से 60 दिवस के भीतर निम्न विवरण के अनुसार सम्बन्धित नोटिसों की राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए कहा गया था। अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा कथित ऋणीयों/कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों के अन्तिम ज्ञात पते पर परिसरों पर ये नोटिस चिपकायें जाने है। कथित सूचनाओं की प्रतियां अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध है तथा उक्त ऋणीयों/कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधि यदि चाहे तो सम्बन्धित प्रतियां किसी भी साधारण कार्य दिवस पर कार्यालय घण्टों के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता से प्राप्त कर सकते है। उपरोक्त संदर्भ में ऋणीयों/कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों को यह सूचना दी जाती है की वे इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिवस के भीतर एचडीएफसी लिमिटेड को यहां नीचे वर्णित उनके नामों के समक्ष वर्णित राशियां जो निम्न कॉलम सी में वर्णित दिनांको से कुल भुगतान /वसूली तक की दिनांक का ऋण अनुबन्ध तथा अन्य लिखित प्रपत्रों यदि कोई है तो, जो उक्त ऋणीयों द्वारा निष्पादित किये गये थे के अनुसार आगे के ब्याज सहित भुगतान कर दें। ऋणों के बकाया पुर्नभुगतान हेतु निम्नलिखित प्रतिभूत आस्तियों को उक्त सम्बन्धित ऋणीयों द्वारा एचडीएफसी के पास प्रतिभूति के रूप में बधंक रखा गया है। ऋणीयों/कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों का अधिनियम की धारा 13 उपधारा (8) के प्रावधानों के संदर्भ में उपलब्ध समय में प्रतिभूत आस्तियों के मोचन हेतू ध्यान आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	ऋणीयों/कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों का नाम	कुल बकाया राशि	मांग सूचना की दिनांक	प्रतिभूत आस्तियों/ अचल सम्पत्तियों का विवरण
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1.	श्री ओम प्रकाश यादव पुत्र श्री पृथ्वी राज यादव खाता संख्याः 640806973 वाद आईडीः 228268	रु. **3,61,172/-*** दिनांक 31.07.2026 तक बकाया	26/08/2026	31/1532, लक्ष्मी नगर, कुतुबपुर, रेवाड़ी हरियाणा 123401, क्षेत्रफल लगभग- 250 वर्गगज। सीमाएं:- पूर्व- श्री राम क्वर की संपत्ति, पश्चिम- श्रीमती सरिता की संपत्ति, उत्तर-सड़क, दक्षिण-10' सड़क

✻ लागू दर से आगे का ब्याज, आकस्मिक खर्चें, लागतें, शुल्क इत्यादि जो भुगतान/ वसूली की तिथि तक व्यय किये गये।
यदि उक्त ऋणी एचडीएफसी को कथित भुगतान करने में असमर्थ रहते है तब एचडीएफसी उक्त अधिनियम की धारा 13(4) तथा लागू होने वाले नियमों का पूर्णरूप से कथित ऋणीयों/कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों की जोखिम पर लागतों तथा परिणामों हेतु उपरोक्त प्रतिभूत आस्तियों/ अचल सम्पत्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा। ऋणी/कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कथित प्रतिभूत आस्तियों/ अचल सम्पत्तियों में विक्रय, पट्टे या अन्य किसी तरीके से बिना एचडीएफसी की पूर्व लिखित सहमति के स्थानान्तरण करने हेतु निषिद्ध है कोई भी व्यक्ति अधिनियम के प्रावधानों या बनाये गये नियमों का उल्लंघन या विरोध करता है तो वह अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्ध अर्थदण्ड/सजा के लिए उत्तरदायी होगा।

स्थानः रेवाड़ी
दिनांकः- 10.09.2026

वास्ते एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
हस्ताक्षर/- प्राधिकृत अधिकारी

बजाज फाइनैंस लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय : तृतीय तल, पंचशील टेक पार्क, विमान नगर, पुणे, महाराष्ट्र–411014
शाखा कार्यालय : द्वितीय तल, सैमसंग सर्विस सेंटर, अपोलो फार्मेसी के पास, सेक्टर 14, गुरुग्राम, हरियाणा 122007

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना

अधोहस्ताक्षरी मैसर्स बजाज फाइनैंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतद्द्वारा निम्नलिखित सूचना उन कर्जदार(रों)/सह–कर्जदार(रों) को जारी कर रहा है जो अपनी देयता का निर्वहन करने में असफल रहे हैं अर्थात बजाज फाइनैंस लिमिटेड द्वारा उनको सम्पत्ति के संबंध में दिए गए गृह ऋण (ऋणों)/सम्पत्ति के ऐवज में ऋण (ऋणों) के मूलधन और उसपर उद्भूत ब्याज एवं अन्य प्रभारों के प्रतिभुगतान में असफल रहे हैं और उसके परिणामस्वरूप ऋण कम्पनी की अनार्जक आस्ति (एन.पी.ए'ज) हो गया है/हो गए हैं। तदनुसार उनको वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की 13 (2) और उनके नियमों के तहत सूचनाएं उनके अंतिम ज्ञात पते पर जारी की गई थीं। तथापि वे बिना सुपुर्दगी/बिना तामील वापस प्राप्त हो चुकी हैं, अतः कर्जदार(रों)/सह–कर्जदार(रों) को इस प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे उनके द्वारा समय समय पर प्राप्त की गई ऋण सुविधाओं के तहत बकाया रशियों का भुगतान करें।

ऋण खाता संख्या/कर्जदार(रों)/ सह–कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) का नाम एवं पता	प्रतिभूति का वर्णन	मांग सूचना तिथि एवं राशि
शाखा : गुरुग्राम **(लैन संख्या P580PLA14499555** **1.राघव वोहरा पुत्र अरुण वोहरा (कर्जदार)** पता– आरजीई 152, डीएलएफ रीगल गार्डन, सेक्टर 90, गुड़गांव हयातपुर 114 वजीरपुर गुड़गांव हरियाणा – 122505 **2. टेरेन जियोइन्फ्रा लिमिटेड (सह–कर्जदार)** अपने निदेशकों के माध्यम से चतुर्थ तल, यूनिट संख्या 443–444 पर, विपुल ट्रेड सेंटर, सोहना रोड, सेक्टर 48, गुरुग्राम, हरियाणा–122101 **3. अरुण वोहरा (सह–कर्जदार)** पता– हाउस नंबर 219, बसंत एवेन्यू, अशोक पार्क के पास, अमृतसर–1, पंजाब–143001	गैर कृषि सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : संपत्ति फ्लैट नंबर 152, 15वां तल, टावर ई, दि रीगल गार्डन, डीएलएफ गार्डन सिटी, सेक्टर 90, गुरुग्राम, हरियाणा–122505 (राघव वोहरा संपत्ति के स्वामी हैं और उनके पास संपत्ति का वैध स्वत्वाधिकार है) पूर्वः कॉरिडोर/आरजीई–154, पश्चिम : खुला, उत्तर : खुला, दक्षिणः आरजीई–151	**27 अगस्त 2026** **रु. 1,15,83,290/–** **(केवल एक करोड़ बीस लाख तिरासी हजार दो सौ नब्बे रुपये)**

यह कदम सूचना की वैकल्पिक तामील हेतु उठाया जा रहा है। उपरोक्त कर्जदारों/सह–कर्जदारों, गारंटरों को सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त मांगी गई राशि का भुगतान भावी ब्याज और उस पर अन्य प्रभारों के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर कर दें, जिसमें असफल रहने पर वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) और उनके नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिभूति आस्ति/बंधक सम्पत्ति का कब्जा लेने हेतु आगे कार्यवाही (बजाज फाइनैंस लिमिटेड के पास उपलब्ध अन्य अधिकार उपायों को प्रतिकूल प्रभावित किए बगैर) की जाएगी।
उपरोक्त नामक पार्टियों को उपरिवर्णित सम्पत्तियों को हस्तांतरित नहीं करने, तृतीय पक्ष हित सृजित नहीं करने की भी सलाह दी जाती है। जिन पर बजाज फाइनैंस लिमिटेड का प्रभार है।

तिथि : 10–09–2026 स्थान :– गुरुग्राम **प्राधिकृत अधिकारी बजाज फाइनैंस लिमिटेड**

पीरामल फाइनेंस लिमिटेड (पीएफएल)

Piramal Finance
पंजीकृत कार्यालय पताः यूनिट नं. 601, 6वीं मंजिल पीरामल अमिटी बिल्डिंग, पीरामल अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई–400070
सीआईएनः L65910MH1984PLC032639, वेबसाइट : www.piramalfinance.com

मांग सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित। अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के प्रवर्तन के तहत पीरामल फाइनेंस लिमिटेड (पीएफएल) (पूर्व में पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) का प्राधिकृत अधिकारी है। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी कर आह्वान किया है निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) (''उक्त उधारकर्ता'') को जारी किए गए संबंधित मांग नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए नीचे दिया गया है। उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर उक्त उधारकर्ता को इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर पीएफएल को भुगतान करने का नोटिस दिया जाता है। नीचे दी गई तारीखों से भुगतान और/या वसूली की तारीख तक, अन्य दस्तावेजों/लेखों के साथ पठित ऋण समझौते के तहत देय, उक्त मांग नोटिस में बताए गए अतिरिक्त ब्याज के साथ, नीचे दर्शाई गई राशियाँ, यदि कोई हो, उक्त उधारकर्ता(ओं) द्वारा निष्पादित। ऋण के उचित पुनर्भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में, निम्नलिखित परिसंपत्तियों को क्रमशः उक्त उधारकर्ता द्वारा पीएफएल को गिरवी रखा गया है।

उधारकर्ता/गारंटर्स का नाम	मांग सूचना की तिथि और राशि साथ में एन पी ए की तिथि	सुरक्षित सम्पत्ति का पता (अचल सम्पत्ति)
(एलसी सं. HLSA000E8799 गुरुग्राम शाखा) प्रदीप दहिया (उधारकर्ता) पूजा दहिया (सह–उधारकर्ता 1)	दि. 17.08.2026/रु. 4,43,58,011/– (रु. चार करोड़ तैंतालीस लाख अट्ठावन हजार ग्यारह) एनपीए (03.08.2026)	संपत्ति सं. 50, भूमि क्षेत्रफल 250.838 वर्ग मीटर (300 वर्ग गज) पर निर्मित संपत्ति, ब्लॉक बी–1 में स्थित, वजीरपुर आवासीय योजना की लेआउट योजना में स्थित, अशोक विहार फेज– ।। के नाम से ज्ञात क्षेत्र, दिल्ली – 110052
(एलसी सं. 19900041349 फरीदाबाद शाखा) हेमसागर रामसरे सिंह (उधारकर्ता) एकता सिंह (सह–उधारकर्ता 1)	दि. 17.08.2026/रु.2712362/– (रु. सत्ताईस लाख बारह हजार तीन सौ बासठ) एनपीए (10.03.2026)	फ्लैट सं. 505, 5वीं मंजिल, टावर ए2, एसआरएस रॉयल हिल्स, सेक्टर 87, फरीदाबाद, 121001
(एलसी सं. 28600001446 हरिद्वार शाखा) पुष्पेंद्र सिंह (उधारकर्ता) चिंकी पत्नी पुष्पेंद्र (सह–उधारकर्ता 1)	दि. 18.08.2026/रु.5365226.8/– (तिरपन लाख पैंसठ हजार दो सौ छब्बीस रुपये और अस्सी पैसे) एनपीए (30.09. 2020)	आवासीय मकान सं. 29, भूमि का माप पूर्व– 25 फुट, पश्चिम–25 फुट, उत्तर–36 फुट, दक्षिण–36 फुट, कुल क्षेत्रफल 900 वर्ग फुट एवं कुल आच्छादित क्षेत्रफल 1650 वर्ग फुट, खसरा सं. 793, रायवाला में और औरावाली आश्रम के निकट, ग्राम रायवाला, तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून में स्थित,
(एलसी सं. 19600043468 गुरुग्राम एमजी रोड शाखा) राकेश सागर (उधारकर्ता) नीरू सागर (सह–उधारकर्ता 1)	दि. 18.08.2026/रु. 4036626.8/– (चालीस लाख छत्तीस हजार छह सौ छब्बीस रुपये और अस्सी पैसे) एनपीए (08. 01.2023)	फ्लैट प्रा. फ्लैट सं. डी–12/सी, प्रथम तल पर, (आरएचएस), क्षेत्रफल 70 वर्ग मीटर, प्लॉट सं. 12, ब्लॉक–डी क्षेत्रफल 140 वर्ग मीटर, जफराबाद आवासीय योजना, शाहदरा, दिल्ली में स्थित
(एलसी सं. M0257806 दिल्ली – पीतमपुरा शाखा) मोहम्मद असलम (उधारकर्ता) अदनान (सह–उधारकर्ता 1) अरजुमन (सह–उधारकर्ता 2)	दि. 18.08.2026/रु. 4864241.5/– (अड़तालीस लाख चौंसठ हजार दो सौ इकतालीस रुपये और पचास पैसे) एनपीए (05.04.2026)	संपत्ति सं. एफ–4, क्षेत्रफल 66.88 वर्ग मीटर, अर्थात 80 वर्ग गज, खसरा सं. 95 एवं 96 में से, एफ–ब्लॉक की आबादी, गली सं. 1, खजूरी खास, इलाका शाहदरा, दिल्ली–110053 में स्थित,
(एलसी सं. 25500000585 दिल्ली पीतमपुरा शाखा) त्रिलोक सिंह मेहलावत (उधारकर्ता) मनीषा (सह–उधारकर्ता 1)	दि. 18.08.2026/रु. 4296849/– (बयालीस लाख छियानवे हजार आठ सौ उनचास रुपये) एनपीए (08.06.2026)	डीडीए फ्लैट सं. 3139, तीसरी मंजिल, श्रेणी एलआई एसएफएस फ्लैट, पॉकेट बी एवं सी, वसंत कुंज, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली 110070
(एलसी सं. PHHLNOI05000669 नोएडा शाखा) दीपक जेठवानी (उधारकर्ता) पूजा जेठवानी (सह–उधारकर्ता 1)	दि. 18.08.2026/रु. 3173873/– (इकतीस लाख तिहत्तर हजार आठ सौ तिहत्तर रुपये) एनपीए (08.06.2026)	संपत्ति सं. फ्लैट सं. 04217 का समस्त भाग एवं अंश जोकि जिसका कारपेट क्षेत्रफल 704.39 वर्ग फुट तथा बालकनी क्षेत्रफल 171.57 वर्ग फुट है, एचआईजी –1, 4वीं मंजिल, टावर कोरलवुड, महागुन मायवुड्स, फेज– ।।।, प्लॉट सं. जीएच–04, सेक्टर–16सी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, उत्तर प्रदेश–201307

यदि उक्त उधारकर्ता उपरोक्तानुसार पीएफएल को भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो पीएफएल अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, लागत और परिणामों के संबंध में पूरी तरह से उक्त उधारकर्ताओं के जोखिम पर होगा। अधिनियम के तहत उक्त उधारकर्ताओं को पीएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा उपरोक्त संपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है, अधिनियम के तहत प्रावधान के अनुसार कारावास और/या दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

दिनांकः 10.09.2026,
स्थानः दिल्ली

हस्ता/- (प्राधिकृत अधिकारी)
पीरामल फाइनेंस लिमिटेड

सवारी डिब्बा कारखाना, चेन्नै–600 038

निविदा सूचना सं. आईसीएफ/पीसीएमएम/ईओटी/36ए/2026 दिनांक: 08.09.2026
निम्नलिखित ई–निविदाएँ आईआरईपीएस वेबसाइट पर प्रकाशित की गई हैं। फर्मों से निवेदन है कि इन निविदाओं के लिए **www.ireps.gov.in** में लॉगइन करें और कोट करें। इन निविदाओं के लिए मैनुअल कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। **सभी निविदाओं के लिए अंतिम समय और खुलने का समय 14.15 बजे है।** निविदा सूचना का हिंदी संस्करण वेबसाइट **www.icf.indianrailways.gov.in** पर उपलब्ध है।

शुद्धिपत्र सं. 36ए
निम्नलिखित निविदा के लिए शुद्धिपत्र जारी किया गया है। कृपया अधिक जानकारी के लिए आईआरईपीएस वेबसाइट देखें।

क्रम सं.	निविदा सं.	वर्तमान	परिवर्तित
01.	07252912	07/09/2026	**11/09/2026**
		मद के विवरण में संशोधन किया गया है। कृपया विवरण के लिए आईआरईपीएस वेबसाइट में निविदा दस्तावेज देखें।	

फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

FEDBANK
पंजीकृत कार्यालय : यूनिट नंबरः 1101, 11वीं मंज़िल, सिग्नस, प्लॉट नंबर 71 ए , पवई, पासपोली, मुंबई – 400087

कब्ज़ा–सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम 54) के तहत फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित,धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 10.06.2026 को एक मांग नोटिस जारी कर उधारकर्ता, गिरवीकर्ता, सह–उधारकर्ता और गारंटरः– (1) सुखबीर सुखबीर (उधारकर्ता); (2) मोहित मोहित (सह–उधारकर्ता); (3) रानी रानी (सह–उधारकर्ता) को लोन अकाउंट नंबर **FEDKRLSTL0550679** में 10/6/2026 तक उक्त नोटिस में बताई गई राशि यानी रु.20,46,203/– (बीस लाख छियालीस हज़ार दो सौ तीन रुपये मात्र) सहित अनुबंध की दर से आगे का ब्याज और सभी लागत, शुल्क और आकस्मिक खर्च आदि का भुगतान उक्त मांग नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहा था।
ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता, गिरवीकर्ता, सह–उधारकर्ता और गारंटर विशिष्ट अवधि के भीतर उपरोक्त राशि चुकाने में विफल रहे हैं, उधारकर्ता, गिरवीकर्ता, सह–उधारकर्ता ,गारंटर और आम जनता को एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी अधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित, सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का 08 सितम्बर 2026 को कब्ज़ा ले लिया है।
विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता, गिरवीकर्ता, सह–उधारकर्ता एवं गारंटर और आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे निम्नलिखित संपत्ति का लेन–देन न करें और निम्नलिखित संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन–देन करने पर ऋण खाता सं. **FEDKRLSTL0550679** में 10/6/2026 तक रु.20,46,203/– (बीस लाख छियालीस हज़ार दो सौ तीन रुपये मात्र) सहित अनुबंध की दर से आगे का ब्याज और सभी लागत, शुल्क और आकस्मिक खर्च आदि फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।
प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के तहत ऋणकर्ता का ध्यान आकर्षित किया है।

अनुसूची I
बन्धनकृत संपत्ति का विवरण

इंतकाल नंबर 9132, खेवट नंबर 329, खाता नंबर 553, किते 38, कुल रकबा 262 कनाल 4 मरला का 64/47196 हिस्सा (मालिक का हिस्साः 0 कनाल 7.1 मरला / 215 वर्ग गज), तहसील–सफीदों, जिला जींद–126112, सीमाएँः पूर्वः 40 फीट अजय कुमार का घर, पश्चिमः 40 फीट विनय कुमार का घर, उत्तरः 48.5 फीट गली, दक्षिणः 48.5 फीट करमदीन का घर

स्थानः – जींद
दिनांकः– 08/09/2026

हस्ता./–(प्राधिकृत अधिकारी),
फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत बिक्री नोटिस

हैल्पलाइन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में)

परिसमापक कार्यालयः कश्यप एंड एसोसिएट्स 101, निपुन प्लाजा, सैक्टर–1, (मैक्स अस्पताल के पास) वैशाली, गाजियाबाद–201019

ई–नीलामी नोटिस

ई–नीलामी की तिथि और समयः 28.09.2026 (दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक)
(प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के साथ पठित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के तहत कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्ति की एकल आधार पर ई–नीलामी के माध्यम से अनुमोदित सेवा प्रदाता यानी बैंक एसेट्स ऑक्शन नेटवर्क, द्वारा जो "वैसा है", "जहांहै", "जो भी आधार है" और "कोई सहारा नहीं है" पर एकल आधार पर कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्ति की बिक्री।

परिसंपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य (आईएनआर)	राशि (आईएनआर)	वृद्धिशील मूल्य
177.30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला दो मंजिला आवासीय परिसर प्लॉट संख्या 158, ब्लॉक–जी, सेक्टर–41, नोएडा, जिला जी.बी. नगर, यूपी–201301 पर स्थित है	4.15 करोड़	41.50 लाख	2.00 लाख
पात्रता दस्तावेज और ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	26/09/2026, शाम 6.00 बजे		
योग्य बोलीदाताओं के लिए ई–नीलामी की तिथि और समय	28/09/2026 (दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक)		

नोटः

1. ई–नीलामी **"जैसा है जहां है", "जो भी आधार है" और कोई सहारा आधार नहीं है"** पर आयोजित की जाएगी क्योंकि इस तरह की बिक्री किसी भी प्रकार की वारंटी और क्षतिपूर्ति के बिना अनुमोदित सेवा प्रदाता बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क के माध्यम से होती है
2. दस्तावेज़ 26 सितंबर 2026 को या उससे पहले वेबसाइट –https:/baanknet.com/ पर जमा किए जाएंगे। पूरी ई–नीलामी प्रक्रिया के विस्तृत नियमों और शर्तों के साथ बोली प्रपत्र वेबसाइट https://baanknet.com/ से डाउनलोड किया जा सकता है
3. इच्छुक बोलीदाताओं को खरीदार पंजीकरण के तहत बैंकनेट की वेबसाइट पर खुद को अनिवार्य रूप से पंजीकृत करना होगा और फिर बैंकनेट वेबसाइट पर पात्रता दस्तावेज ऑनलाइन जमा करना होगा।
4. ईएमडी जमा करने और प्रक्रिया में भाग लेने से पहले, अनिवार्य रूप से विस्तृत ई–नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज देखें।
5. यदि बोलीदाता के पास नीलामी प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रश्न हैं, तो वे वेबसाइट https:/baanknet.com पर उपलब्ध खरीदारों के लिए नीलामी गाइड का उल्लेख कर सकते हैं। अधिक सहायता के लिए, बोलीदाता हेल्पलाइन +91 82912 20220 पर संपर्क कर सकते हैं या support.baanknet@psballiance.com को लिख सकते हैं या श्री अरुण कुमार, अधिवक्ता, मोबाइल नंबर 8076752975 पर संपर्क करें।

हस्ता/–
सर्वेश कश्यप
परिसमापक, हैल्पलाइन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में)
पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-002/IP-N00127/2017-18/10296
पताः कश्यप एंड एसोसिएट्स 101, निपुन प्लाजा, सैक्टर–1, (मैक्स अस्पताल के पास), वैशाली, गाजियाबाद, यूपी–201019
ई–मेलः hhpl.inliquidation@gmail.com

दिनांकः 09 सितंबर 2026
स्थानः गाजियाबाद

मांग सूचना

एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

CIN: U67100MH2007PLC174759
रिटेल सेन्ट्रल और रजि. कार्यालयः एडलवाइस हाउस, सीएसटी रोड पर कलिना, मुंबई 400098

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत

यह, नीचे उल्लिखित असाइनर ने एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को वित्तीय संपत्ति सौंपी है, जो यहां उल्लिखित विभिन्न ट्रस्टों के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता पर कार्य कर रही है (बाद में ''ईएआरसी'' के रूप में संदर्भित), सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 5 के तहत असाइनमेंट समझौतों के अनुसार, ईएआरसी ने अंतर्निहित सुरक्षा हितों, गारंटियों, प्रतिज्ञाओं के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में असाइनर के सभी अधिकारों, शीर्षक और हितों में कदम रखा है। उधारकर्ता द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता के संबंध में ईएआरसी में निहित है और ईएआरसी सुरक्षित लेनदार के रूप में अपने सभी अधिकारों का प्रयोग करता है। नीचे हस्ताक्षरकर्ता वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ("ईएआरसी") के अधिकृत अधिकारी हैं। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें नीचे उल्लिखित समनुदेशक के निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) को उन्हें जारी किए गए संबंधित मांग नोटिस में उल्लिखित राशि वापस करने के लिए कहा गया है। उपरोक्त के संबंध में, उधारकर्ता(ओं) को इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर एक बार फिर से भुगतान करने के लिए नोटिस दिया जाता है, नीचे दी गई राशि, उक्त मांग नोटिस में वर्णित ब्याज के साथ, भुगतान और/या वसूली की तारीख तक नीचे उल्लिखित तारीख (तारीखों) से, अन्य दस्तावेजों/लेखों, यदि कोई हो, के साथ पढ़े गए ऋण समझौते के तहत देय है। उक्त उधारकर्ता (ओं) द्वारा ऋण के उचित पुनर्भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में, निम्नलिखित परिसंपत्ति को क्रमशः उक्त उधारकर्ता (ओं) द्वारा ईएआरसी को गिरवी रखा गया है।

क्र. सं.	उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता का नाम/ऋण खाता नं.	मांग सूचना की तिथि एवं राशि	असाइनर और ट्रस्ट का विवरण
1	1) रजनी पत्नी दयाचंद 2) जसवंत सिंह पुत्र मान सिंह 3) मान सिंह पुत्र राम सरूप लैनः–PR01172559	13.08.2026 तथा रु. **925175.54/-** दि. 12.08.2026 तक	एसबीएफसी फिनक्रेडिट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ईएआरसी ट्रस्ट एससी–499
संपत्ति का विवरणः मकान सं. 238 का वह समस्त भाग एवं हिस्सा, जिसका क्षेत्रफल 240 वर्ग गज है, खेवट / खाता सं. 51/53, मुस्तकिल सं. 102, किल्ला सं. 13(9–3), 14/1(7–17), 17(8–0), 18(6–2), 22/1(7–9), 23/1/1(2–3), 23/2(2–17), 24/1(6–13), मणपुर, तहसील हथीन एवं जिला फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित है।			
2	1) विक्रम वेजिटेबल होल सेलर (इसके प्रोपराईटर द्वारा श्री विक्रम सिंह पुत्र. राजवीर सिंह) 2) छाया देवी पत्नी विक्रम सिंह 3)विक्रम सिंह पुत्र राजवीर सिंह लैनः PR01094582	13.08.2026 तथा रु. **997030.56/-** दि. 12.08.2026 तक	एसबीएफसी फिनक्रेडिट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ईएआरसी ट्रस्ट एससी–499
संपत्ति का विवरणः वह समस्त भाग एवं हिस्सा जोकि खेवट/खाता सं. 235/240, किल्ला सं. 150 (3–12), खेवट/खाता सं. 256/261, किल्ला सं. 101(5–4), वाका सीवाना, मौजा नानू कलां, तहसील पटौदी, जिला गुरुग्राम, हरियाणा जिसका माप एवं सीमाएं निम्नानुसार हैंः– उत्तर – खाली प्लॉट, दक्षिण – नतरा पाल का मकान, पूर्व – राम चंद का मकान, पश्चिम – सड़क।			
3	1) सबरा पत्नी मुबीन 2) मुबीन पुत्र गफूर लैन– PR01260074	13.08.2026 तथा रु. **1773898.64/-** दि. 12.08.2026 तक	एसबीएफसी फिनक्रेडिट इंडिया प्रा. लि. और ईएआरसी ट्रस्ट एससी – 499
संपत्ति का विवरणः संपत्ति का वह समस्त भाग एवं हिस्सा जोकि क्षेत्रफल 200 वर्ग गज, खेवट/खाता सं. 52/60, मु.नं. 16, किला सं. 2/1 (7–16), 3/1/1 (0–19), अराजी जरई, वाका मौजा रायपुर, तहसील सोहना, जिला गुरुग्राम, हरियाणा–122103 में स्थित			

यदि उक्त उधारकर्ता पूर्वोक्त के रूप में ईएआरसी को भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो ईएआरसी अधिनियम की धारा 13 (4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, पूरी तरह से उक्त उधारकर्ता(ओं) के जोखिम पर लागत और परिणामों के रूप में। अधिनियम के अंतर्गत उधारकर्ताओं को ईएआरसी की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के रूप में उपर्युक्त परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करता है, अधिनियम के तहत प्रदान किए गए कारावास और/या दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

दिनांकः 13.08.2026
स्थानः हरियाणा

हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी
कृते एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

Edelweiss
Asset Reconstruction